

भारत का संविधान





भाग १

संघ और उसका राज्य-क्षेत्र

संघ का
नाम और
राज्य-क्षेत्र

१. (१) भारत, अर्थात् इण्डिया, राज्यों का संघ होगा।
- (२) उसके राज्य और राज्य-क्षेत्र प्रथम अनुसूची के भाग (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित राज्य और उन के राज्य-क्षेत्र होंगे।
- (३) भारत के राज्य-क्षेत्र में —
 - (क) राज्यों के राज्य-क्षेत्र में —
 - (ख) प्रथम अनुसूची के भाग (घ) में उल्लिखित राज्य-क्षेत्र;
 - तथा
 - (ग) ऐसे अन्य राज्य-क्षेत्र जो अर्जित किये जायें, समाविष्ट होंगे।

नये राज्यों
का प्रवेश
या स्थापना

२. संसद, विधि द्वारा, ऐसे निबन्धनों और शर्तों के साथ जिन्हें यह उचित समझे, संघ में नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी।

नये राज्यों
का निर्माण
और वर्तमान
राज्यों के
क्षेत्रों, सीमाओं
या नामों का
बदलना

३. संसद विधि द्वारा —
 - (क) किसी राज्य से उस का प्रदेश अलग कर के अथवा दो या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिला कर अथवा किसी प्रदेश को किसी राज्य के भाग के साथ मिला कर नया राज्य बना सकेगी;
 - (ख) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी;
 - (ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी;
 - (घ) किसी राज्य की सीमाओं को बदल सकेगी;
 - (ङ) किसी राज्य के नाम को बदल सकेगी;

परन्तु इस प्रयोजन के लिये कोई विधेयक राष्ट्रपति के सिफारिश बिना, तथा जहां विधेयक में अन्तर्निहित प्रस्थापना का प्रभाव प्रथम अनुसूचि

भारत का संविधान



प्रस्तावना

भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण
प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य
के लिये तथा उस के समस्त नागरिकों को :

सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिये,
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की
एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता
बढ़ाने के लिये
दृढ संकल्प हो कर अपनी इस संविधान सभा में
आज तारीख २६ नवम्बर १९४९ ई० (मिति मार्गशीर्ष
शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छ विक्रमी) को
एतद्वारा इस संविधान को अङ्गीकृत अधि-
नियमित और आत्मार्पित करते हैं ।

भारत का संविधान



सत्यमेव जयते



भाग १

संघ और उसका राज्य-क्षेत्र

संघ का
भाग और
राज्य-क्षेत्र

१. (१) भारत, अर्थात् इण्डिया, राज्यों का संघ होगा।
- (२) उसके राज्य और राज्य-क्षेत्र प्रथम अनुसूची के भाग (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित राज्य और उन के राज्य-क्षेत्र होंगे।
- (३) भारत के राज्य-क्षेत्र में —
 - (क) राज्यों के राज्य-क्षेत्र में —
 - (ख) प्रथम अनुसूची के भाग (घ) में उल्लिखित राज्य-क्षेत्र, तथा
 - (ग) ऐसे अन्य राज्य-क्षेत्र जो अर्जित किये जाये, समाविष्ट होंगे।

नये राज्यों
का प्रवेश
या स्थापना

२. संसद, विधि द्वारा, ऐसे निबन्धनों और शर्तों के साथ जिन्हें वह उचित समझे, संघ में नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी।

नये राज्यों
का निर्माण
और वर्तमान
राज्यों के
क्षेत्र, सीमाओं
या नामों का
बदलना

३. संसद विधि द्वारा —
 - (क) किसी राज्य से उस का प्रदेश अलग कर के अथवा दो या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिला कर अथवा किसी प्रदेश को किसी राज्य के भाग के साथ मिला कर नया राज्य बना सकेगी;
 - (ख) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी;
 - (ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी;
 - (घ) किसी राज्य की सीमाओं को बदल सकेगी;
 - (ङ) किसी राज्य के नाम को बदल सकेगी;

परन्तु इस प्रयोजन के लिये कोई विधेयक राष्ट्रपति के सिफारिश बिना, तथा जहाँ विधेयक में अन्तर्भूत प्रस्थापना का प्रभाव प्रथम अनुसूचि



भाग २ नागरिकता

इस संविधान
के प्रारम्भ पर
नागरिकता.

५. इस संविधान के प्रारम्भ पर प्रत्येक व्यक्ति जिस का भारत राज्य-क्षेत्र में अधिवास है, तथा—

(क) जो भारत राज्य-क्षेत्र में जन्मा था; अथवा

(ख) जिस के जनकों में से कोई भारत राज्य-क्षेत्र में जन्मा था; अथवा

(ग) जो ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले कम से कम पांच वर्ष तक भारत राज्य-क्षेत्र में सामान्यतया निवासी रहा है; भारत का नागरिक होगा।

पाकिस्तान से
भारत को
प्रव्रजन कर
आये कुछ
व्यक्तियों के
नागरिकता के
अधिकार.

६. अनुच्छेद ५ में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान के इस समय अन्तर्गत राज्य-क्षेत्र से भारत राज्य-क्षेत्र को प्रव्रजन कर आया है इस संविधान के प्रारम्भ पर भारत का नागरिक समझा जायेगा—

(क) यदि वह अथवा उस के जनकों में से कोई अथवा उस के महा-जनकों में से कोई भारत-आसन-अधिनियम १९३५ (यथा मूलतः अधिनियमित) में परिभाषित भारत में जन्मा था; तथा

(ख) (१) जब कि वह व्यक्ति ऐसा है जो सन १९४८ को जुलाई को उन्नीसवें दिन से पूर्व प्रव्रजन कर आया है तब यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत राज्य-क्षेत्र में सामान्यतया निवासी रहा है;

अथवा

(२) जब कि वह व्यक्ति ऐसा है जो सन १९४८ की



भाग ३ मूल अधिकार साधारण

परिभाषा:

१२. यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस भाग में "राज्य" के अन्तर्गत भारत की सरकार और संसद, तथा राज्यों में से प्रत्येक की सरकार और विधान-मंडल, तथा भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर अथवा भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सब स्थानीय और अन्य प्राधिकारी भी हैं।

मूल अधिकारों से असंगत अथवा उनका अस्वीकरण करनेवाली विधियाँ,

१३. (१) इस संविधान के प्रारम्भ होने से ठीक पहिले भारत राज्य-क्षेत्र में सब प्रवृत्त विधियाँ उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक कि वे इस भाग के उपबन्धों से असंगत हों।

(२) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनायेगा जो इस भाग द्वारा दिये अधिकारों को छीनती या न्यून करती हो इस खंड के उल्लंघन में बने प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी।

(३) यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस अनुच्छेद में—

(क) भारत राज्य-क्षेत्र में विधि के समान प्रभावी कोई अध्यादेश आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रुढ़ि अथवा प्रथा "विधि" के अन्तर्गत होगी।

(ख) भारत राज्य-क्षेत्र में किसी विधान-मंडल या अन्य क्षमता-शाली प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व पारित अथवा निर्मित विधि, जो पहिले ही निरसित न हो गई हो, चाहे ऐसी कोई विधि या उस का कोई भाग उस समय पूर्णतया या विशेष क्षेत्रों में प्रबलन में न भी हो, "प्रवृत्त विधियों" के अन्तर्गत होगी।

समता-अधिकार

विधि के

१४. भारत राज्य-क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता



भाग ४

राज्य की नीति के निदेशक तत्व

परिभाषा -

३६. यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस भाग में "राज्य" का वही अर्थ है जो इस संविधान के भाग ३ में है।

इस भाग में
वर्णित तत्वों की
प्रमुखता -

३७. इस भाग में दिये गये उपबन्धों को किसी न्यायालय द्वारा बाधता न दी जा सकेगी किन्तु तो भी इन में दिये हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और बिधि बनाने में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा।

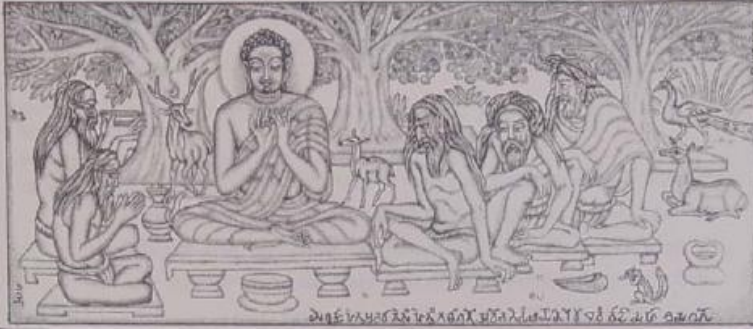
लोक-कल्याण के
उन्नति के हेतु
राज्य सामाजिक
व्यवस्था बनायेगा;

३८. राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिस में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं का अनुप्राणित करे, भरसक कार्य-साधक रूप में स्थापना और संरक्षण कर के लोक-कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा।

राज्य द्वारा
अनुसरणीय
कुछ नीतितत्व -

३९. राज्य अपनी नीति का विशेषतया ऐरा संचालन करेगा कि सु-निश्चित रूप से -

- (क) समान रूप से नर और नारी सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो;
- (ख) समुदाय का भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बँटा हो कि जिस से सामुहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो;
- (ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिस से धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिये अधिकारी केन्द्रण न हो;
- (घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिये समान वेतन हो;
- (ङ) श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों का स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो तथा



भाग ५

संघ

अध्याय १ कार्यपालिका

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति

भारत का राष्ट्रपति:

५२. भारत का एक राष्ट्रपति होगा ।

संघ का कार्यपालिका शक्ति:

५३. (१) संघ की कार्यपालिका डाबित राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इस का प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा ।

(२) पूर्वगामी उपबन्ध की व्यापकता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले संघ के रक्षा-बलों का सर्वोच्च समावेडा राष्ट्रपति में निहित होगी और उस का प्रयोग विधि से विनियमित होगा ।

(३) इस अनुच्छेद की किसी बात से

(क) जो कृत्य किसी वर्तमान विधि न किसी राज्य की सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी को दिये हैं वे कृत्य राष्ट्रपति को हस्तान्तरित किये हुए न समझे जायेंगे; अथवा

(ख) राष्ट्रपति के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारियों को विधि द्वारा कृत्य देने में संसद को बाधा न होगी ।

राष्ट्रपति का निर्वाचन:

५४. राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक-मण के सदस्य करेंगे जिस में

(क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य; तथा

(ख) राज्यों की विधान-सभाओं के निर्वाचित सदस्य

होंगे ।

५५. (१) जहां तक व्यवहार्य हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न



भाग ६

प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य

अध्याय १.- साधारण

परिभाषा.

१५२. यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस भाग में राज्य पद का अर्थ प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित राज्य है।

अध्याय २ - कार्यपालिका

राज्यपाल

राज्यों के राज्यपाल.

१५३. प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल होगा।

राज्य की कार्यपालिका शक्ति.

१५४. (१) राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी तथा वह इस का प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा।

(२) इस अनुच्छेद की किसी बात से -

(क) जो कृत्य किसी वर्तमान विधि ने किसी अन्य प्राधिकारी को दिये हैं वे कृत्य राज्य-पाल को हस्तान्तरित किये हुये न समझे जायेंगे अथवा

(ख) राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी की विधि द्वारा कृत्य देने में संसद् अथवा राज्य के विधान-मंडल को बाधा न होगी।

राज्यपाल की नियुक्ति.

१५५. राज्य के राज्यपाल का राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा।

राज्यपाल की पदावधि.

१५६. (१) राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त राज्यपाल पद धारण करेगा।



भाग ७

प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्य

प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राज्यों को भाग ६ के उपबन्धों का लागू होगा।

२३८. भाग ६ के उपबन्ध प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राज्यों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों और लुप्तियों के अधीन रह कर वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे उस अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित राज्यों के सम्बन्ध में लागू होते हैं, अर्थात्—

- (१) "राज्यपाल" पद के लिये, अनुच्छेद २३२ के रवंड (ख) में जहां वह दूसरी बार आता है वहां को छोड़ कर, जहां भी वह उस भाग में आता है, "राजप्रमुख" शब्द रख दिया जायेगा।
- (२) अनुच्छेद १५३ में "भाग (क)" शब्द और अक्षर के लिये "भाग (ख)" शब्द और अक्षर रख दिये जायेंगे।
- (३) अनुच्छेद १५५, १५६ और १५७ लुप्त कर दिये जायेंगे।
- (४) अनुच्छेद १५८ में—
 - (१) रवंड (१) में "नियुक्त होने" शब्दों के लिये "होता है" शब्द रख दिये जायेंगे।
 - (२) रवंड (३) के स्थान में निम्नलिखित रवंड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

"(३) राजप्रमुख को जब कि राज्य की सरकार के मुख्य स्थान में उस का अपना निवासगृह न हो, तब बिना किराया दिये पदावास के उपयोग का हक्क होगा तथा उस को ऐसे भत्तों और विशेषाधिकारों का हक्क होगा जैसे कि राष्ट्रपति साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित करे।"



भाग ८

प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में के राज्य

प्रथम अनुसूची
में के भाग (ग)
में के राज्यों
का प्रशासन

२३९. (१) इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जायेगा तथा वह इस बारे में उस मात्रा तक, जितना कि वह उचित समझे, अपने द्वारा नियुक्त किये जाने वाले मुख्य आयुक्त या उपराज्यपाल के अथवा पड़ोसी राज्य का सरकार के द्वारा कार्य करेगा :

परन्तु राष्ट्रपति—

- (क) सम्बन्धित सरकार से परामर्श किये बिना तथा
- (ख) इस प्रकार प्रशासित किये जाने वाले राज्य की जनता के विचारों को उस शैली से जिसे राष्ट्रपति अन्यन्त संप्रचित समझता है निश्चय पूर्वक जाने बिना पड़ोसी राज्य का सरकार के द्वारा कार्य नहीं करेगा ।
- (२) इस अनुच्छेद में राज्य के प्रति निर्देशों के अन्तर्गत राज्य के भाग निर्देश भी होंगे ।

स्थायी विधान-
मंडल अथवा
मंत्रणा-दाताओं
या मंत्रियों की
परिषद् का
सृजन करना
या बनाने
करवाना

२४०. (१) प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित तथा मुख्य आयुक्त या उपराज्यपाल द्वारा प्रशासित किसी राज्य के लिये संसद् विधि द्वारा—

- (क) राज्य के विधान-मंडल के रूप में कृत्य करने के लिये नाम-निर्देशित या निर्वाचित अथवा अंशतः नाम-निर्देशित और अंशतः निर्वाचित निकाय को अथवा
- (ख) मंत्रणा-दाताओं की या मंत्रियों की परिषद् का या दोनों को ऐसे गठन शक्तियों तथा कृत्यों सहित जो कि प्रत्येक के बारे में विधि द्वारा उल्लिखित की जाये



भाग ६

प्रथम अनुसूची के भाग (घ) में के राज्य-क्षेत्र तथा अन्य
राज्य-क्षेत्र जो उस अनुसूची में उल्लिखित नहीं हैं

प्रथम अनुसूची
के भाग (घ)
में उल्लिखित
राज्य-क्षेत्रों का
और उस में
अनुल्लिखित
राज्य-क्षेत्रों का
प्रशासन ।

२४३. (१) प्रथम अनुसूची के भाग (घ) में उल्लिखित किसी राज्य-क्षेत्र का तथा भारत राज्य-क्षेत्र में समाविष्ट किन्तु उस अनुसूची में अनुल्लिखित किसी अन्य राज्य-क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति करेगा तथा वह इस बारे में उस मात्रा तक, जितनी कि वह उचित समझे, अपने द्वारा नियुक्त किये जाने वाले मुख्य आयुक्त या अन्य प्राधिकारी के द्वारा कार्य करेगा ।

(२) राष्ट्रपति ऐसे किसी राज्य-क्षेत्र की शान्ति और सुशासन के लिये विनियम बना सकेगा तथा इस प्रकार बना हुआ कोई विनियम, संसद् - निर्मित किसी विधि का अथवा किसी वर्तमान विधि का, जो ऐसे राज्य-क्षेत्र में तत्समय लागू है, निरसन या संशोधन कर सकेगा तथा, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्या-पित होने पर उस का उस राज्य-क्षेत्र पर लागू संसद्-अधिनियम के जैसा ही बल और प्रभाव होगा ।





भाग १०

अनुसूचित और आदिमजाति-क्षेत्र

अनुसूचित
और आदिम-
जाति-क्षेत्रों
का प्रशासन

२४४. (१) आराम राज्य के अतिरिक्त प्रथम अनुसूची के भाग (क) या (ख) में उल्लिखित किसी राज्य में के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित आदिमजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिये पंचम अनुसूची के उपबन्ध लागू होंगे ।

(२) आराम राज्य में के आदिमजाति-क्षेत्रों के प्रशासन के लिये षष्ठ अनुसूची के उपबन्ध लागू होंगे ।





भाग ११

अध्याय १-विधायी सम्बन्ध विधायिनी शक्तियों का वितरण

संसद तथा
राज्यों के
विधान-मंडलों
द्वारा निर्मित
विधियों का
विस्तार.

२४५. (१) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संसद भारत के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र अथवा उस के किसी भाग के लिये विधि बना सकेगी, तथा किसी राज्य का विधान-मंडल उसे सम्पूर्ण राज्य के अथवा उस के किसी भाग के लिये विधि बना सकेगा।

(२) संसद द्वारा निर्मित कोई विधि इस कारण से कि उस का राज्य-क्षेत्रातीत प्रवर्तन होगा, अमान्य नहीं समझी जायेगी।

संसद द्वारा,
तथा राज्यों के
विधान-मंडलों
द्वारा, निर्मित
विधियों के
विषय.

२४६. (१) खंड (२) और (३) में किसी बात के होते हुए भी संसद को सप्तम अनुसूची की सूची (१) में (जो इस संविधान में "राज्य-सूची" के नाम से निर्दिष्ट है) प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।

(२) खंड (३) में किसी बात के होते हुए भी संसद को, तथा खंड (१) के अधीन रहते हुए प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के विधान-मंडल को भी, सप्तम अनुसूची की सूची (३) में (जो इस संविधान में "समबली सूची" के नाम से निर्दिष्ट है) प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में विधि बनाने की शक्ति है।

(३) खंड (१) और (२) के अधीन रहते हुए प्रथम अनुसूची के भाग (क) में या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के विधान-मंडल को सप्तम अनुसूची की सूची (२) में (जो इस संविधान में "राज्य-सूची" के नाम से निर्दिष्ट है) प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में ऐसे राज्य अथवा उस के किसी भाग के लिये विधि



भाग १२

वित्त, सम्पत्ति, संविदाएँ और
व्यवहार-वाद

अध्याय १.- वित्त-साधारण

निर्बन्ध. २६४. इस भाग में जब तक कि प्रसंग से अन्यथा
अपेक्षित न हो,—

(क) "वित्त-आयोग" से इस संविधान के अनुच्छेद २८० के
अधीन गठित वित्त-आयोग अभिप्रेत है ;

(ख) "राज्य" के अन्तर्गत प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में
उल्लिखित कोई राज्य नहीं है ;

(ग) प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्यों
के निर्देशों के अन्तर्गत प्रथम अनुसूची के भाग
(घ) में उल्लिखित किसी राज्य-क्षेत्र के, तथा
किसी ऐसे अन्य राज्य-क्षेत्र के जो भारत राज्य-
क्षेत्र में समाविष्ट तो हो किन्तु उस अनुसूची
में उल्लिखित न हो, निर्देश भी होंगे ।

विधि-प्रधिकार
के सिवाय करों
का आरोपण
न करना,

२६५. विधि के प्रधिकार के सिवाय कोई कर न तो आरोपित और न
संगृहीत किया जायेगा ।

भारत और
राज्यों की
संघित निधियों
और लोक-देय

२६६.(१) अनुच्छेद २६७ के उपबन्धों के, तथा कुछ करों और शुल्कों
के शुद्ध आगम के राज्यों को पूर्णतः सौंपे जाने के बारे में इस
अध्याय के उपबन्धों के, अधीन रहते हुए भारत सरकार द्वारा प्राप्त सब
राजस्व राज-हुंडियों को निकाल कर उधार द्वारा और अर्धोणाय पेशगियों
द्वारा लिये गये सब उधार, तथा उधारों के प्रतिदान में उस सरकार को प्राप्त
सब धनों की एक संघित निधि बनेगी जो "भारत की संघित निधि" के
नाम से ज्ञात होगी तथा राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त सब राजस्व राज-
हुंडियों को निकाल कर, उधार द्वारा और अर्धोणाय पेशगियों द्वारा लिये गये



भाग १३

भारत के राज्य-क्षेत्र के भीतर व्यापार,
वाणिज्य और समागम

व्यापार, वाणिज्य
और समागम
की स्वतंत्रता

व्यापार, वाणिज्य
और समागम पर
निर्बंधन लगाने
की संसद की
शक्ति

व्यापार और
वाणिज्य के
विषय से संघ
और राज्य की
विधायिका
शक्तियों पर
निर्बंधन

३०१. इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए भारत राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार वाणिज्य और समागम अबाध होगा।

३०२. संसद विधि द्वारा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग के भीतर व्यापार वाणिज्य या समागम का स्वतंत्रता पर ऐसे निर्बंधन आरोपित कर सकेगा जैसे कि लोक-हित में अपेक्षित हो।

३०३. (१) अनुच्छेद ३०२ में किसी बात के होते हुए भी सप्तम अनुसूची की सूचियों में से किसी में व्यापार और वाणिज्य सम्बन्धी किसी विधि के आधार पर न तो संसद को और न राज्य के विधान-मंडल को कोई ऐसी विधि बनाने की शक्ति होगी जो एक राज्य को दूसरे राज्य से अधिमान देती या दिया जाना प्राधिकृत करता है अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में कोई विभेद करता या किया जाना प्राधिकृत करता है।

(२) खंड (१) में की कोई बात संसद को ऐसी कोई विधि बनाने से न रोकगी जो कोई ऐसा अधिमान देती या दिया जाना प्राधिकृत करता है अथवा कोई ऐसा विभेद करती या किया जाना प्राधिकृत करता है यदि ऐसी विधि द्वारा यह घोषित किया गया हो कि भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में वस्तुओं की दुर्लभता से उत्पन्न किसी स्थिति से निबटने के प्रयोजन के लिये ऐसा करना आवश्यक है।

राज्यों के

३०४. अनुच्छेद ३०१ या अनुच्छेद ३०३ में किसी बात के



भाग १४

संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं

अध्याय १-सेवाएं

निर्वाचन.

३०८. इस भाग में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित ना हो राज्य पर से प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित राज्य अभिप्रेत है।

संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें,

३०९. इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समुचित विधान - मंडल के अधिनियम संघ या किसी राज्य के कार्यों से सम्बद्ध लोक-सेवाओं और पदों के लिये भर्ती का तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेंगे :

परन्तु जब तक इस अनुच्छेद के अधीन समुचित विधान-मंडल के अधिनियम के द्वारा या अधीन उस लिये उपबन्ध नहीं बनाये जाते तब तक यथास्थिति संघ के कार्यों से सम्बद्ध सेवाओं और पदों के बारे में राष्ट्रपति को, अथवा ऐसे व्यक्ति को, जिस पर निर्देशित करे तथा राज्य के कार्यों से सम्बद्ध सेवाओं और पदों के बारे में राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख को, अथवा ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह निर्देशित करे, ऐसी सेवाओं और पदों के लिये भर्ती तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाले नियमों के बनाने की क्षमता होगी तथा किसी ऐसे अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस प्रकार निर्मित कोई नियम प्रभावी होगा।

संघ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की बटावधि.

३१०. (१) इस संविधान द्वारा स्वयंता पूर्वक उपबन्धित अवस्था को छोड़ कर प्रत्येक व्यक्ति, जो संघ की प्रतिरक्षा सेवा या असेनिक सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है, अथवा संघ के अधीन प्रति-रक्षा से सम्बन्धित किसी पद को अथवा किसी असेनिक पद को धारण



भाग १५

निर्वाचन

निर्वाचनों का
अधीक्षण
निर्देशन और
नियंत्रण निर्वा-
चन आयोग में
निहित होगा।

३२४. (१) इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल के लिये निर्वाचन के लिये नामावली तयार कराने का तथा उन समस्त निर्वाचनों के संचालन का तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण जिस के अन्तर्गत संसद के तथा राज्यों के विधान-मंडलों के निर्वाचनों से उद्भूत या संसक्त सन्देशों और बिबादों के निर्णय के लिये निर्वाचन-न्यायाधिकरण की नियुक्ति भी है एक आयोग में निहित होगा (जो इस संविधान में निर्वाचन-आयोग के नाम से निर्दिष्ट है) ।

(२) निर्वाचन-आयोग मुख्य निर्वाचन-आयुक्त तथा यदि कोई हों तो अन्य उतने निर्वाचन-आयुक्तों से जितने कि राष्ट्रपति समय समय पर नियत कर मिल कर चनेगा तथा मुख्य निर्वाचन-आयुक्त और अन्य निर्वाचन-आयुक्तों का नियुक्ति संसद द्वारा उस लिये बनाई हुई किसी विधि के उप-बन्धों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी ।

(३) जब कोई अन्य-निर्वाचन-आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया गया हो तब मुख्य निर्वाचन-आयुक्त निर्वाचन-आयोग के सभापति के रूप में कार्य करेगा ।

(४) लोक-सभा तथा प्रत्येक राज्य की विधान-सभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पूर्व तथा विधान-परिषद् वाले राज्य की विधान-परिषद् के लिये पहिले साधारण निर्वाचन तथा तत्पश्चात् प्रत्येक द्विवार्षिक निर्वाचन से पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचन-आयोग से परामर्श कर के रबंड (१) द्वारा निर्वाचन-आयोग को दिये गये कृत्यों के पालन में आयोग की सहायता के लिये ऐसे प्रादेशिक आयुक्त भी नियुक्त



भाग १६

कतिपय वर्गों से सम्बन्ध विशेष उपबन्ध

अनुसूचित जातियों
और अनुसूचित
आदिमजातियों
के लिये लोक-सभा
में स्थानों का
रक्षण.

३३०. (१) लोक-सभा में -

(क) अनुसूचित जातियों के लिये,

(ख) आसाम के तथा आदिमजाति-क्षेत्रों में की अनुसूचित आदिम-
जातियों को छोड़ कर आदिमजातियों के लिये,

(ग) आसाम के स्वायत्तशासी जिलों में की अनुसूचित आदिमजातियों
के लिये,

स्थान रक्षित रहेंगे।

(२) खंड (१) के अधीन अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम -
जातियों के लिये किसी राज्य में रक्षित रखे गये स्थानों की संख्या का
अनुपात लोक-सभा में उस राज्य को बांट में दिये गये स्थानों की
समस्त संख्या से यथाशक्य बही होगा जो यथास्थिति उस राज्य में की
अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य में की या उस राज्य के भाग
में की अनुसूचित आदिमजातियों की, जिन के सम्बन्ध में स्थान इस प्रकार
रक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की समस्त जनसंख्या से है।

लोक-सभा में
आस-भारतीय
समुदाय का
प्रतिनिधित्व.

३३१. अनुच्छेद ८१ में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की
राय हो कि लोक-सभा में आस-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त
नहीं है तो वह लोक-सभा में उस समुदाय के दो से अधिक सदस्य
नाम-निर्देशित कर सकेगा।

राज्यों का
विधान-सभाओं
में अनु-

३३२. (१) प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित
प्रत्येक राज्य की विधान-सभा में अनुसूचित जातियों के लिये तथा आसाम
के आदिमजाति-क्षेत्रों में की अनुसूचित आदिमजातियों को छोड़ कर अन्य



भाग १७

राजभाषा

अध्याय १- संघ की भाषा

संघ की
राजभाषा

३४३. (१) संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी ।

संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा ।

(२) खंड (१) में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि के लिये संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिन के लिये ऐसे प्रारम्भ के ठीक पहिले वह प्रयोग की जाती थी :

परन्तु राष्ट्रपति उक्त कालावधि में आदेश द्वारा, संघ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिये अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिन्दी भाषा का तथा भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के साथ साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा ।

(३) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी पन्द्रह साल की कालावधि के पश्चात् विधि द्वारा—

(क) अंग्रेजी भाषा का अध्यापन

(ख) अंकों के देवनागरी रूप का

ऐसे प्रयोजनों के लिये प्रयोग उपबन्धित कर सकेगी जैसे कि ऐसी विधि में उल्लिखित हों ।

राजभाषा के
लिये संसद का
आयोग और
समिति ।

३४४ (१) राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारम्भ से पाँच वर्ष की समाप्ति पर तथा तत्पश्चात् ऐसे प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक सभापति और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिल कर बनेगा जैसे कि राष्ट्रपति नियुक्त करे, तथा आयोग द्वारा



भाग १८

आपात-उपबन्ध

आपात की
उद्घोषणा

३५२. (१) यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि गम्भीर आपात विद्यमान है जिस से कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या आन्तरिक अशांति से भारत या उस के राज्य-क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा उस आशय की घोषणा कर सकेगा।

(२) रबंड (१) के अधीन की गई उद्घोषणा—

(क) उत्तरवर्ती उद्घोषणा द्वारा प्रतिसंभूत की जा सकेगी;

(ख) संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायेगी;

(ग) दो मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगी जब तक कि संसद् के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा वह उस कालावधि की समाप्ति से पहिले अनुमोदित न कर दी जाये;

परन्तु यदि ऐसी कोई उद्घोषणा उस समय निकाली गई है जब कि लोक-सभा का विघटन हो चुका है अथवा लोक-सभा का विघटन इस रबंड के उपरबंड (ग) में निर्दिष्ट दो मास की कालावधि के भीतर हो जाता है तथा यदि उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य-परिषद् द्वारा पारित हो चुका है किन्तु ऐसी उद्घोषणा के विषय में लोक-सभा द्वारा उस कालावधि की समाप्ति से पहिले कोई संकल्प पारित नहीं किया गया है तो उद्घोषणा उस तारीख से, जिस में कि लोक-सभा अपने पुनर्गठन के पश्चात् प्रथम बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगी जब तक कि उक्त तीस दिन की कालावधि की समाप्ति से पूर्व उद्घोषणा को अनुमोदन करने वाला संकल्प लोक-सभा द्वारा भी पारित नहीं हो जाता।

(३) यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या



भाग १६

प्रकीर्ण

राष्ट्रपति और
राज्यपाल और
राजप्रमुखों
का संरक्षण.

३६१. (१) राष्ट्रपति राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिये अथवा उन शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में अपने द्वारा किये गये अथवा कर्तुमभिप्रेत किसी कार्य के लिये किसी न्यायालय को उत्तरदायी न होगा :

परन्तु अनुच्छेद ६१ के अधीन दोषारोप के अनुसंधान के लिये संसद के किसी सदन द्वारा नियुक्त या नामोद्दिष्ट किसी न्यायालय न्यायाधिकरण या निकाय द्वारा राष्ट्रपति के आचरण का पुनर्विलोकन किया जा सकेगा :

परन्तु यह और भी कि इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं किया जायेगा मानो कि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के खिलाफ समुचित कार्यवाहियों के चलाने के किसी व्यक्ति के अधिकार को निर्बंधित करती है ।

(२) राष्ट्रपति के अथवा राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के खिलाफ उस की पदावधि में किसी भी प्रकार की दंड कार्यवाही किसी न्यायालय में संस्थित नहीं की जायेगी और न चालू ररवी जायेगी ।

(३) राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख की पदावधि में उस बन्दी या कारावासी करने के लिये किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकलेगी ।

(४) राष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के रूप में अपना पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात् अपने व्यक्तिगत रूप में किये गये अथवा कर्तुमभिप्रेत किसी कार्य के बारे में राष्ट्रपति अथवा ऐसे राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के खिलाफ अनुतोष की मांग करने वाली कोई व्यवहार-कार्यवाहियां उसकी पदावधि में किसी न्यायालय में तब तक संस्थित न की जायेंगी जब तक कि कार्यवाहियों के



भाग २०

संविधान का संशोधन

संविधान के
संशोधन के
लिए प्रक्रिया.

३६८. इस संविधान के संशोधन का सुत्रपात उस प्रयोजन के लिये विधेयक को संसद के किसी सदन में पुरःस्थापित कर के ही किया जा सकेगा तथा जब प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अग्यून बहुमत से वह विधेयक पारित हो जाता है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष उस की अनुमति के लिये रखा जायेगा तथा विधेयक को ऐसी अनुमति दी जाने के पश्चात् विधेयक के निबन्धनों के अनुसार संविधान संशोधित हो जायेगा

परन्तु यदि ऐसा कोई संशोधन —

(क) अनुच्छेद ५४, अनुच्छेद ५५, अनुच्छेद ७३, अनुच्छेद १६२, या अनुच्छेद ३४१ में; अथवा

(ख) भाग ५ के अध्याय ४, भाग ६ के अध्याय ५ या भाग १६ के अध्याय १ में; अथवा

(ग) सातवीं अनुसूची की सूचियों में से किसी में; अथवा

(घ) संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में अथवा

(ङ) इस अनुच्छेद के उपबन्धों में;

कोई परिवर्तन करना चाहता है तो ऐसे उपबन्ध करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिये उपस्थित किये जाने के पहले उस संशोधन के लिये प्रथम अनुसूची के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित राज्यों में से कम आधी के विधान-मंडलों का उस प्रयोजन के लिये उन विधान-मंडलों से पारित संकल्पों द्वारा अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा ।



भाग २१

अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध

राज्य-सूची में
के कुछ विषयों
के बारे में
विधि बनाने का
संसद की इस
प्रकार अस्थायी
शक्ति मानो कि
वे विषय सार्वभौम
सूची के हैं।

३६९. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारम्भ से पांच वर्ष की कालावधि में निम्नलिखित विषयों के बारे में विधि बनाने की संसद को इस प्रकार शक्ति होगी मानो कि ये सार्वभौम सूची में प्रगणित हैं; अर्थात्—

(क) सूती और ऊनी बस्तुओं, कच्ची रुई (जिस के अन्तर्गत धुनी हुई रुई और बिना धुनी रुई या कपास हैं), बिनेले, कागज (जिस के अन्तर्गत समाचार-पत्र का कागज है) रबाद्य पदार्थ (जिस के अन्तर्गत रबाद्य तिलहन और तेल हैं), दोरों के चारे (जिस के अन्तर्गत खली और पथर अन्य सारकृत चारे हैं) कोयले (जिस के अन्तर्गत कोक और पथर-कोयला जन्म पदार्थ हैं), लोहे इस्पात और अभ्रक का किसी राज्य के अन्दर व्यापार और वाणिज्य तथा उन का उत्पादन सम्भरण और वितरण;

(ख) खंड (क) में वर्णित विषयों में से किसी से सम्बन्ध विधियों के विरुद्ध अपराध, उच्चतम न्यायालय से भिन्न सब न्यायालयों का उन विषयों में से किसी के बारे में क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ, तथा उन विषयों से किसी के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में ली जाने वाली कीसों से अन्य कीसों,

किन्तु संसद द्वारा निर्मित कोई विधि जिसे इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अभाव में बनाने के लिये संसद सहमत न होती उक्त कालावधि की समाप्ति पर अदम्यता की मात्रा तक उस की समाप्ति से पूर्व की गई या



भाग २२

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निरसन

संक्षिप्त नाम. ३९३. यह संविधान भारत का संविधान के नाम से ज्ञात हो सकेगा ।

प्रारम्भ. ३९४. यह अनुच्छेद और अनुच्छेद ५, ६, ७, ८, ९, ६०, ३२४, ३६६, ३६७, ३७९, ३८०, ३८८, ३९९, ३९२ और ३९३ तुरन्त प्रवृत्त होंगे तथा इस संविधान के अवशिष्ट उपबन्ध १९५० की २६ जनवरी के दिन प्रवृत्त होंगे जो दिन कि इस संविधान में इस संविधान के प्रारम्भ के रूप में निर्दिष्ट किया गया है ।

निरसन. ३९५. भारत स्वाधीनता-अधिनियम १९४७ और भारत-वासन-अधिनियम १९३५ पञ्चातुस्त अधिनियम के प्रिवी कोन्सिल होशधिकार उत्पादन अधिनियम १९४९ को छोड़ कर संशोधन या अनुसूचन करने वाली सब अधिनियमितियों के साथ एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं ।

